



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

सं.16/13/2026-Admn/E.285001

दिनांक:22/10/2026

सेवा में,

निदेशक/प्रभारी निदेशक

परिषद के सभी संस्थान/केन्द्र

विषय: ICMR के तकनीकी संवर्ग (Technical Cadre) में प्रत्यक्ष भर्ती हेतु MRU/MRHRU में कार्यरत/कार्य कर चुके कर्मिकों को आयु में छूट (Age Relaxation) प्रदान किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

परिषद् के संज्ञान में आया है कि विभिन्न ICMR संस्थानों/केन्द्रों द्वारा Model Rural Health Unit (MRU)/Model Rural Health Research Unit (MRHRU) में कार्यरत अथवा पूर्व में कार्य कर चुके कर्मिकों को तकनीकी संवर्ग के पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती के समय परियोजना सेवा (Project Service) के आधार पर आयु में छूट प्रदान किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इस संबंध में विषय का परीक्षण ICMR Technical Cadre Integrated Recruitment and Assessment Rules, 2017 के पैरा-12 (Age Relaxation) के आलोक में किया गया है।

उक्त नियमों के अनुसार, आयु में अधिकतम पाँच (05) वर्ष तक की छूट केवल उन अभ्यर्थियों को प्रदान की जा सकती है, जिन्होंने ICMR परियोजनाओं (ICMR Projects) में निरंतर कार्य किया हो तथा निर्धारित आयु सीमा के अंदर परियोजना सेवा में प्रवेश किया हो।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि MRU/MRHRU, ICMR Projects की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए MRU/MRHRU में की गई सेवा को ICMR Technical Cadre Integrated Recruitment and Assessment Rules, 2017 के पैरा-12 के अंतर्गत आयु में छूट प्रदान करने के उद्देश्य से ICMR Project Service नहीं माना जाएगा।

फलस्वरूप, तकनीकी संवर्ग के पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती के दौरान केवल MRU/MRHRU में की गई सेवा के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को परियोजना सेवा के अंतर्गत आयु में छूट (Age Relaxation) प्रदान नहीं की जाएगी।

सभी ICMR संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/निदेशक-प्रभारी एवं प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में तकनीकी संवर्ग की भर्ती की कार्यवाही करते समय उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Jaibir Singhदीय,
Date: 23-10-2026
16:45:54

(जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि.उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि.वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. परिषद के सभी प्रभाग प्रमुख
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहा. महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (वित्त)
4. डॉ. मनजीत सिंह चालगा, आई.सी.एम.आर. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।